


27.4.2016

आवेदन की ओर से ही प्रेषित अन्तिमोक्त उपाख्यत।
 श्रद्धा पर सुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.2.2016 का अख्तियार किया गया। तहसीलदार द्वारा बिना कारण बगैरे व्यवस्थापक संतान के आदेश। नियम 10 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है जो विधि-संगत कार्रवाई नहीं है। अतः तहसीलदार का 29.2.2016 का आदेश निरस्त किया जाकर प्रमाण इस निर्देश के साथ प्रत्यावाहीत किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर संकारण आदेश पालि को।

27/4/16

and

अध्यक्ष



समक्ष माननीय अध्यक्ष म० प्र० राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. निगरानी- /पीबीआर/16

भगवती प्रसाद आ० श्री बलदेव प्रसाद सक्सेना

निग - 1330-PBR-16

निवासी अभिनव फेस-4 मकान न० जी- 3 बायपास रोड

अयोध्या बाईपास भोपाल म०प्र०

....आवेदकग

विरुद्ध

1. बाहिद खो आ० कयूम खां

2. कदीर खां आ० कयूम खो

दोनो निवासीगण वार्ड न० 8 मकबरा मोहल्ला

कस्बा बेगमगंज तहसील बेगमगंज जिला रायसेन

3. उमकार प्रसाद आ० बलदेव प्रसाद

निवासी ग्राम खेरुआ पडरात तहसील गुलाबगंज

जिला विदिशा विकितचित द्वारा सरक्षंक बहन हीराबाई

पुत्री बलदेव प्रसाद पत्नी सुरेश कुमार सक्सेना

निवासी अभिनव फेस-4 मकान न० 50 बायपास रोड

अयोध्या बाईपास भोपाल म०प्र०

4. म०प्र० शासन द्वारा तहसीलदार बेगमगंज

जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान तहसीलदार तहसील बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्र० 49/अ-27/13-14/ में पारित आदेश दिनांक 29/02/16 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

Handwritten signature

Handwritten notes:
रिजिस्ट्रार
26/4/16
5301

Handwritten notes:
A 27/4/16